भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2590

04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

फेम-III योजना का कार्यान्वयन

2590. **श्रीमती अपराजिता सारंगी:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना के अंतर्गत ओडिशा और देश में परिनियोजित की गई इलेक्ट्रिक बसों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जों के लिए पीएलआई योजना की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) फेम-II से ई-परिवहन में हुए अत्यधिक सुधार को देखते हुए क्या सरकार की फेम-III को लागू करने की योजना है;

(घ) समर्थ उद्योग भारत-4.0 की प्रगति और कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): दिनांक 10.07.2026 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम के अंतर्गत लक्षित 38,000 ई-बसों में से 27,555 ई-बसें शामिल की जा चुकी हैं। इनमें से 10,000 ई-बसें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्कीम के अंतर्गत, 14,000 ई-बसें भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत तथा 3,555 ई-बसें विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) की पहलों के अंतर्गत शामिल हैं।

दिनांक 10.07.2026 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा-पीएसएम स्कीम के अंतर्गत देशभर में कुल 523 ई-बसें तैनात की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, पीएसएम स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित एमओएचयूए की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा स्कीम के तहत ओडिशा

राज्य को 400 ई-बसें आवंटित की गई हैं, तथापि दिनांक 03.08.2026 की स्थिति के अनुसार उनकी कोई तैनाती नहीं हुई है।

(ख): सरकार ने भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के विनिर्माण के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 23.09.2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ऑटोमोबिल तथा ऑटो घटक उद्योग हेतु पीएलआई स्कीम (पीएलआई-ऑटो स्कीम) को अनुमोदित किया था। सभी राज्यों में पीएलआई-ऑटो स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:-

मानदंड	दिनांक 31.03.2026 तक संचयी
निवेश (करोड़ रुपये)	44,326
वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष:वित्त वर्ष 2019-20) (करोड़ रुपये)	52,414
सृजित रोजगार (संख्या)	67,820
वितरित प्रोत्साहन (करोड़ रुपये)	2,386.36

(ग): फेम इंडिया स्कीम चरण-II का कार्यान्वयन दिनांक 31.03.2024 को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। यद्यपि वर्तमान में "फेम-III" नामक कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है, तथापि देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम को दिनांक 24.09.2024 को कुल 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था।

(घ): भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन संबंधी स्कीम के अंतर्गत उद्योग 4.0 को बढ़ावा देने के लिए चार स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (**समर्थ**) केंद्र स्थापित किए हैं। स्कीम के अंतर्गत स्थापित **समर्थ** केंद्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

(i) सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 (सी4आई4) लैब, पुणे;
(ii) आईआईटीडी-एआईए फाउंडेशन फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आईआईटी दिल्ली;
(iii) आई-4.0 इंडिया @ आईआईएससी, बेंगलुरु; तथा
(iv) स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल, सीएमटीआई, बेंगलुरु।

इसके अतिरिक्त, जनवरी,2023 से **समर्थ** केंद्रों द्वारा की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

(i) भ्रमण करने वाले व्यक्तियों की संख्या: 26,372

(ii) प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या: 33,751

(iii) आयोजित पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या: 332

(ङ): वर्तमान में भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन संबंधी स्कीम चरण-II के अंतर्गत साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****